	छत्तीसगढ़ विधान सभा
	पत्रक भाग - एक संक्षिप्त कार्य विवरण
	पंचम विधान सभा द्वितीय सत्र अंक-03

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2019
(आषाढ़ 25, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।
(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. बधाई

माननीय अध्यक्ष ने गुरूपूर्णिमा के अवसर पर माननीय सदस्यों एवं प्रदेश वासियों को शुभकामनायें दी ।

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 11, 13 से 17 (कुल 16) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 12 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री प्रमोद कुमार शर्मा अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 40 तारांकित एवं 61 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने कम्पनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018, **पटल पर रखा ।**

4. पृच्छा

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, सदस्य ने मंत्रिमंडल के विरूद्ध दिये गये निन्दा प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी, कि निन्दा प्रस्ताव को अग्राहय कर दिया गया है ।

(निरंतर व्यवधान होने से सदन की कार्यवाही 12.13 बजे स्थगित की जाकर 12.26 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल एवं अन्य प्रतिपक्षी सदस्यों ने बैंकों से किसानों को नया ऋण नहीं मिलने, बिजली की आपूर्ति नहीं होने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये ।)

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव अग्राहय कर दिया है और इस संबंध में ध्यानाकर्षण की सूचना ग्राहय की गई है।

(निरंतर व्यवधान होने से सदन की कार्यवाही 12.52 बजे स्थगित की जाकर 1.05 बजे समवेत हुई।)

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ने पुन: स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये ।)

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री धरमलाल कौशिक- (प्रस्तुत नही हुई ।)

(2) श्री अरूण वोरा, सदस्य ने प्रदेश में अमानक खाद एवं बीज की बिक्री किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यानाकर्षित किया ।

(प्रतिपक्ष दलों के सदस्य गर्भगृह में आये ।)

6. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये है :-

श्री धरमलाल कौशिक, डॉ. रमन सिंह, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, ननकीराम कंवर, पुन्नूलाल मोहले, अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सर्वश्री सौरभ सिंह, डमरूधर पुजारी, विद्यारतन भसीन, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री धर्मजीत सिंह, डॉ. रेणु अजीत जोगी, श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, श्रीमती इन्दू बंजारे ।

माननीय सभापति ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें । निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात करेंगे ।

(निलंबित सदस्य गर्भगृह में बैठ गये ।)

7. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(निलंबित सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहकर नारे लगाये गये।)

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) पंडित सुंदर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक11 सन् 2019)

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने पंडित सुंदर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक11 सन् 2019) पुर:स्थापित किया ।

(निलंबित सदस्य सभा भवन से बाहर गये ।)

(2) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 12 सन् 2019)

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 12 सन् 2019) पुर:स्थापित किया ।

(3) इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 13 सन् 2019)

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 13 सन् 2019) पुर:स्थापित किया ।

(4) छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 14 सन् 2019)

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 14 सन् 2019) पुर:स्थापित किया ।

9. निलंबन अवधि समाप्ति की घोषणा

माननीय सभापति ने नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

अपरान्ह 1.22 बजे, विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 18 जुलाई, 2019 (आषाढ़-27, शक संवत् 1941) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा